Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding need to pass a stringent law on Love Jihad and also declare such marriages as ultravirus if solemnized without the consent of parents.

श्री सुब्रत पाठक (कन्नौज): अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं सबसे पहले रविकिशन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और देश को केमिकल-ड्रग माफिया से मुक्ति की ओर सदन का ध्यान खींचा है, लेकिन इससे भी अधिक गंभीर मुद्दा है – बॉलीवुड का साम्प्रदायीकरण, जो पिछले कई दशकों से कटरपंथियों की सोची-समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों को ईमान का पक्का और धार्मिक रूप दिखाया जाता है, वहीं दूसरे धर्म की तमाम जातियों को डकैत, बलात्कारी, अपराधी और गरीबों का शोषण करने वाला दिखाया जाता है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है। सिनेमा हमारे समाज का पथ-प्रदर्शक है। आज देश भर में जो 'लव जिहाद' के मामले सामने आ रहे हैं, इसके सूत्र भी कहीं न कहीं बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। कई प्रकार के प्रलोभन और साजिशों से गुमराह करके, दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करके, उनका धर्म परिवर्तन कराकर देश भर में यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जब सिनेमा जगत के लोग दूसरे धर्म के लोगों से शादी करके धर्म परिवर्तन करते हैं तो यह सब ठीक है। यही 'लव जिहाद' को बढ़ावा देने का काम करता है। 'लव जिहाद'के षडयंत्र में लड़कियों को बेचने में और स्लेव बनाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर सहित कई शहरों में लगातार इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं। कई जगहों पर अपनी पहचान छिपाकर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन न करने पर लड़कियों की हत्या तक कर दी जाती है। पिछले दिनों प्रसिद्ध एथलेटिक लड़की से पहचान छिपाकर शादी करने और फिर धर्म परिवर्तन न करने पर उसका शोषण और अत्याचार करने पर यह मामला सामने आने पर देश का ध्यान इस ओर गया था। अत: मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि 'लव जिहाद' को रोकने हेतु कठोर कानून बनाया जाए। साथ ही, दोनों पक्षों के माता-पिता और परिजनों की अनुमति के बिना दूसरे धर्म में शादी को देश भर में अवैध और दण्डनीय घोषित किया जाए। पहचान छिपाकर भ्रमित करने पर कठोर सजा का प्रावधान हो।

माननीय अध्यक्ष : कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री रवि किशन को श्री सुब्रत पाठक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।